मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 20, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 79 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 82 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्वागत उल्लेख

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व केन्द्रीय मंत्री की उपस्थिति पर स्वागत् उल्लेख किया.

3. शासकीय वक्तव्य

श्री तुलसीराम सिलावट, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 2019 को पूछे गये तारंकित प्रश्न संख्या 9 क्रमांक-449 में आसंदी द्वारा दिये गये निर्देश के तारतम्य में प्रकरण की जांच कर वक्तव्य दिया एवं प्रतिवेदन को पटल पर रखा.

अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि माननीय सदस्य हरदीप सिंह डंग द्वारा जो प्रश्न किया गया था और आसंदी ने माननीय मंत्रीजी को जांच कर प्रतिवेदन पटल पर रखने के निर्देश दिये थे, इसमें जैसा सदस्य ने बोला था वैसा ही पाया गया है. वही बात आज मंत्री जी ने पढ़कर सुनाई है. इसलिए विधायकों का सम्मान, विधायकों के द्वारा लाई गई बात सही है तो निश्चित तौर पर आसंदी इस पर ध्यान देगी.

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने आसंदी द्वारा मंत्री को तत्काल निर्देश देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की जिला होशंगाबाद के आदमगढ़ मार्ग के रेल्वे पुलिया में पानी का भराव होने,
(2) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य की शिवपुरी में स्मैक का कारोबार धड़ल्ले से चलने,
(3) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य की रीवा जिले में सेमरिया वि.स. क्षेत्र कमोवेश सभी ग्रामों एवं वनभूमि में पीड़ित आदिवासियों को पट्टा आवंटित नहीं किये जाने,
(4) श्री इंदर सिंह परमार, सदस्य की शुजालपुर नगरीय क्षेत्र सीमा में सड़कों की मरम्मत या निर्माण कार्य न किये जाने,
(5) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली वि.स. क्षेत्र अंतर्गत हा.स्कूल रजाखेड़ी भवन की स्वीकृति के तहत भूमि आरक्षित करने,
(6) श्री श्याम लाल द्विवेदी, सदस्य की रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने,
(7) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की मनावर क्षेत्र में काम की तलाश में आदिवासियों का पलायन होने,
(8) श्री मनोहर ऊंटवाल, सदस्य की वि.स. क्षेत्र आगर में खाद्य विभाग के अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण सेल्समेन की मृत्यु होने,
(9) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर को जिला बनाये जाने तथा
(10) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास एवं अन्य जिलों की शा. अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध न होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) विश्व जनसंख्या दिवस पर चर्चा कराई जाना

डॉ. सीतीसरन शर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है. हम संकल्प लें कि देश की जनसंख्या न बढ़े. मैंने इस पर कुछ विषय दिया है, उसको आप ग्राह्य कर चर्चा कराएं.

(2) प्रदेश में बिजली कटौती की जाना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि - राज्य में व्यापक स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत कटौती हो रही है. पूरा प्रदेश विद्युत कटौती से हाहाकार कर रहा है. पुरानी लालटेनें और चिमनियां निकल आई हैं. कई पुराने जनरेटर, इनवर्टर भी निकल आये हैं, इस पर हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव एवं ध्यानाकर्षण की सूचनाएं दी हैं. इस पर चर्चा कराएं.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 12.10.2016 को पेटलावद जिला झाबुआ में मोहर्रम के जुलूस को रोकने की घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 पटल पर रखा.

(2) श्री आरिफ अकील, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 54 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(3) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन मंत्री ने दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 54 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(4) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने (क) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 तथा (ख) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखे.

(5) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने (क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-2018 तथा (ख) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-2018 पटल पर रखे.

(6) श्री सचिन यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने (क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट, वर्ष 2016-17 तथा (ख) मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 48 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2016-17 पटल पर रखे.

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने नागदा-खाचरौद क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों में घटिया मध्याह्न भोजन का वितरण किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
डॉ. प्रभुराम चौधरी स्कूल शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य ने देवास जिले की कन्नौद पुलिस द्वारा एक व्यक्ति पर अवैध शराब का झूठा प्रकरण कायम किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2019 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक - 8	श्री यशपाल सिंह सिसौदिया	1 घण्टा
2.	क्रमांक -13	श्री संजय यादव	45 मिनट
3.	क्रमांक-19	श्री विनय सक्सेना	45 मिनट

श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री ग्यारसीलाल रावत, सदस्य ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम से चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(2) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे (जिला-बालाघाट)
(3) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(4) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (जिला-शिवपुरी)
(5) श्री प्रेमसिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(6) श्री श्यामलाल द्विवेदी (जिला-रीवा)
(7) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(8) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
(9) श्री प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(10) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(11) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(12) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(13) श्री प्रणय प्रभात पान्डे (जिला-कटनी)
(14) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(15) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(16) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(17) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(18) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)

10. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होने एवं आम वितरण विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि - आज भोजनावकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें. माननीय सदस्य श्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा अपने बगीचे में जैविक रूप से उत्पादित आम माननीय सदस्यों को भेंट किए जा रहे हैं. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह आम की पेटी सूचना कार्यालय से प्राप्त करें.

11. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2019 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2019 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों, वर्ष 2008-2009 तथा वर्ष 2010-2011 के आधिक्य व्यय की अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण तथा वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
(1)	मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019)	30 मि.
(2)	मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी(संशोधन)विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019)	30 मि.
(3)	मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019)	30 मि.
(4)	मध्यप्रदेश नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019)	30 मि.
(5)	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019)	30 मि.
(6)	वर्ष 2008-2009 एवं वर्ष 2010-2011 के आधिक्य व्यय की अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	30 मि.

वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिये आवंटित समय

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या, सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है, का विवरण	निर्धारित समय
1.	श्री कमल नाथ, मुख्यमंत्री	11- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन 15- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 21- लोक सेवा प्रबंधन 32- जनसम्पर्क 46- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 47- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार 51- अध्यात्म 65- विमानन 70- प्रवासी भारतीय 72- आनंद	2 घण्टे
2.	डॉ.विजयलक्ष्मी साधौ, मंत्री	26- संस्कृति 38- आयुष 52- चिकित्सा शिक्षा	1 घण्टा 30 मि.
3.	श्री सज्जन सिंह वर्मा, मंत्री	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 67- लोक निर्माण कार्य-भवन 71- पर्यावरण	2 घण्टे
4.	श्री हुकुम सिंह कराड़ा, मंत्री	23- जल संसाधन 45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य 57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2 घण्टे
5.	डॉ. गोविन्द सिंह, मंत्री	1- सामान्य प्रशासन 2- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 17- सहकारिता 28- राज्य विधान मण्डल	1 घण्टा 30 मि.
6.	श्री बाला बच्चन, मंत्री	3- पुलिस 4- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय 5- जेल	2 घण्टे
7.	श्री आरिफ अकील, मंत्री	35- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 42- भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास 63- अल्पसंख्यक कल्याण 66- पिछड़ा वर्ग कल्याण	1 घण्टा 30 मि.
8.	श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, मंत्री	7- वाणिज्यिक कर	1 घण्टा
9.	श्री प्रदीप जायसवाल, मंत्री	25- खनिज साधन	1 घण्टा 30 मि.

10.	श्री लाखन सिंह यादव, मंत्री	14- पशुपालन 16- मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	1 घण्टा
11.	श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1 घण्टा
12.	श्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री	8- भू राजस्व तथा जिला प्रशासन 9- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय 36- परिवहन 58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1 घण्टा 30 मि.
13.	श्रीमती इमरती देवी, मंत्री	55- महिला एवं बाल विकास	1 घण्टा
14.	श्री ओमकार सिंह मरकाम, मंत्री	33- आदिम जाति कल्याण 69- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	1 घण्टा
15.	डॉ. प्रभुराम चौधरी, मंत्री	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 40- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1 घण्टा 30 मि.
16.	श्री प्रियव्रत सिंह, मंत्री	12- ऊर्जा	2 घण्टे
17.	श्री सुखदेव पांसे, मंत्री	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1 घण्टा
18.	श्री उमंग सिंघार, मंत्री	10- वन	1 घण्टा
19.	एडव्होकेट हर्ष यादव, मंत्री	56- कुटीर एवं ग्रामोद्योग 68- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	30 मि.
20.	श्री जयवर्द्धन सिंह, मंत्री	22- नगरीय विकास एवं आवास 41- सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय 64- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1 घण्टा 30 मि.
21.	श्री जीतू पटवारी, मंत्री	43- खेल और युवा कल्याण 44- उच्च शिक्षा	1 घण्टा 30 मि.
22.	श्री कमलेश्वर पटेल, मंत्री	30- ग्रामीण विकास 53- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 62- पंचायत	2 घण्टे
23.	श्री लखन घनघोरिया, मंत्री	34- सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण 49- अनुसूचित जाति कल्याण	1 घण्टा
24.	श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, मंत्री	18- श्रम	30 मिनिट
25.	श्री पी.सी. शर्मा, मंत्री	29- विधि और विधायी कार्य	1 घण्टा

26.	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1 घण्टा
27.	श्री सचिन सुभाष यादव, मंत्री	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास 50- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण 54- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2 घण्टे
28.	श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल हनी, मंत्री	37- पर्यटन 48- नर्मदा घाटी विकास	1 घण्टा
29.	श्री तरुण भनोत, मंत्री	6- वित्त 31- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी 60- जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 61- बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2019 से मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2019 तक सभा की बैठकों में भोजनावकाश न रखा जाये तथा सभा की बैठकें रात्रि 8.00 बजे तक रखी जायें. दिनांक 15 एवं 16 जुलाई, 2019 को होने वाली प्रश्नकाल सहित अन्य समस्त कार्यवाही शनिवार, दिनांक 20 जुलाई एवं रविवार दिनांक 21 जुलाई, 2019 को संपादित की जाए.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों एवं वित्तीय कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

(2) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव

14. शासकीय वक्तव्य

श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि नेहरू नगर मांडवा बस्ती में जो बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हुई थी, आज कोर्ट का फैसला आ गया है कि अपराधी को फांसी की सजा हो गई है. माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं पुलिस विभाग, न्यायालय की माननीय जज को बधाई देना चाहता हूँ. कि यह मुकदमा फास्ट ट्रेक कोर्ट में चला और एक महीने के अन्दर सजा सुना दी गई. यह मध्यप्रदेश की कमलनाथ की सरकार है, बच्चियों एवं महिलाओं के मामले में हमेशा इसी तरह से ठोस कदम उठाएगी. मैं माननीय गृह मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने सही समय पर एक्शन लिया और 3 दिन के अन्दर अपराधी, विष्णु को पकड़ा गया और आज उसे फांसी की सजा हो गई.

15. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

सभापति महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(3) श्री मनोहर ऊंटवाल

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

(4) श्री घनश्याम सिंह
(5) डॉ. सीतासरन शर्मा
(6) श्रीमती झूमा सोलंकी
(7) श्री संजीव सिंह "संजू"
(8) श्री संजय यादव

(9) श्री दिनेश राय "मुनमुन"
(10) डॉ. अशोक मर्सकोले
(11) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

16. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि की जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए चाय की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. अनुरोध है कि सुविधानुसार माननीय सदस्य चाय ग्रहण करने का कष्ट करें. सामान्य चर्चा में बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए सदन की कार्यवाही आठ बजे तक जारी रहेगी.

17. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

(12) श्री कुणाल चौधरी
(13) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(14) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(15) श्री चैतन्य काश्यप
(16) श्री विनय सक्सेना
(17) श्री गिरीश गौतम
(18) श्री प्रवीण पाठक
(19) श्री बहादुर सिंह चौहान
(20) श्री आरिफ मसूद

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

(21) श्री हरिशंकर खटीक

18. औचित्य के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था
अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों को उपस्थित रहना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी को अवगत कराया कि सदन में वर्ष 2019-20 के मुख्य बजट पर चर्चा हो रही है. किसी विभाग की डिमांड पर चर्चा नहीं हो रही है. सामान्य बजट में सभी विभागों का समावेश है. मैं जहां तक मानता हूं और परंपरा भी रही है, व्यवस्था भी आसंदी से रही है कि विभागीय चर्चा हो तो उस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहें और बाकी नहीं रहे तो ठीक है लेकिन जब सामान्य बजट पर चर्चा होती है तो सदन के नेता माननीय वित्त मंत्री जी हैं लेकिन उसके साथ सभी विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, सेक्रेट्री हैं, एच.ओ.डी. हैं, उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी सदस्य बोल रहे हैं, अलग-अलग विभागों पर जैसी जिसकी रुचि है, उस विषय पर बोल रहे हैं आप संरक्षक हैं. आप इस बात की व्यवस्था देने की कृपा करें कि जब सामान्य बजट पर चर्चा हो रही है, सभी विभागाध्यक्ष और विभागों के सचिव यहां उपस्थित रहें, सदन के नेता मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहें तो सदन की गरिमा बढ़ेगी.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हम भी 1985 में पहली बार विधान सभा में जब चुनकर आए थे तो मिंटो हाल विधान सभा भवन में जब बजट प्रस्तुत होता था हम देखते थे और अमूमन तौर पर जब भी मुख्य बजट पेश हुआ. बजट से संबंधित समस्त अधिकारी अधिकारी दीर्घा में होते थे. यह हमारी विधान सभा की परंपरा रही है. मैं चाहता हूं कि जो इस सदन की गौरवशाली परंपराएं रही हैं वह अक्षुण्ण रहें इसलिये माननीय संसदीयकार्य मंत्री इस संबंध में समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें.

डॉ.गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री तरूण भनोत, वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और आपका निर्देश मिला है. मैं आज ही समस्त अधिकारियों एवं चीफ सेक्रेट्री को भी निर्देशित करूंगा कि कल से सभी अधिकारी उपस्थित रहें.

19. वर्ष 2019-2020 के आय-व्यक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

(22) डॉ. मोहन यादव
(23) कुं. प्रद्युम्न सिंह लोधी
(24) श्री दिलीप सिंह परिहार
(25) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(26) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी
(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 7.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 21, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
भोपाल: **प्रमुख सचिव,**
दिनांक: 11 जुलाई, 2019 **मध्यप्रदेश विधान सभा**